न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 09/2020 FSSA

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिंधी
एफबीओ मैसर्सः— प्रदीप प्रोविजन स्टोर, लालसोट रोड, नागौरी मौहल्ला, दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री द्वारका प्रसाद शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 08.06.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.12.2019 को सायंकाल 05:30 बजे मैसर्सः— प्रदीप प्रोविजन स्टोर, लालसोट रोड नागौरी मौहल्ला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिंधी उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। विक्रेता प्रदीप कुमार को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ का लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक कटे मुंह के टीन(पीपे) में करीबन 10 किग्रा सरसों तेल(लूज) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, इसमे मिलावट का शक होने पर इसमें से हिलामिलाकर नमूने की जांच हेतु 1600 ग्राम सरसों तेल खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 176 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 1600 ग्राम सरसों तेल को चार साफ सूखी एवं खाली कांच की बोतलों में बराबर—बराबर डालकर प्रत्येक बोतल को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को बोतलों पर चिपकाकर बोतलों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.— 2334 गोंद से चिपकाकर बोतलो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द बोतलों को अपने कब्जे में लिया।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्टेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्र0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 24.12.2019 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 24.12.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने की चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.12.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3185/एक्ट/2019/34 दिनांक 03.01.2020 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का नमूना नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन (खुला सरसो तेल बेचना) पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3185/एक्ट/2019/34 दिनांक 03.01.2020 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खुले सरसों के तेल का विक्रय किये जाने के कारण नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 का उल्लंघन होना पाये जाने के कारण अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना आवश्यक है। अतः परिवाद स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मेरे पास टीन(पीपा) बिल्कुल सील पैक था लेकिन सैम्पल लेने के लिये सील तुडवा कर सैम्पल लिया था। उक्त टीन(पीपा) सील पेक था लेकिन लिया हुआ सैम्पल लूल सैम्पल लिया गया था। सैम्पल मिलावट का शक होने के कारण लिया था तथा सेन्ट्रल लेबोरेटरी में जांच किये जाने के पश्चात् उक्त सैम्पल सभी मापदण्डों के अनुसार प्रमाणित पाया गया है। दिनांक 23.12.2019 को सैम्पल लेते समय कार्यवाही पर्चा भरा गया था उसमे भी मिलावट के शक में सैम्पल लिया जाना लिखा गया है। हमने कोई खुला(लूज) तेल नहीं बेचा है अपितु खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ही मिलावट का शक होने की वजह से टीन(पीपा) जो पूर्णरूपेण सील पैक था उसकी सील तुडकवार सैम्पल जानबूझकर लूज लिया गया है। इस प्रकार प्रार्थी को मात्र हैरान परेशान करने हेतु यह परिवाद पेश किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा परिवाद खारिज फरमाकर प्रार्थी को दोषमुक्त करने का निवेदन किया गया।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्टेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र0 सं0 : 09/2020 FSSA

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./3185/एक्ट/2019/34 दिनांक 03.01.2020 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) का नमूना नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011, का उल्लंघन (खुला सरसों तेल बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ सरसों तेल (लूज) नियम 2.3.15(1)(b) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम 2011 एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (V) का उल्लंघन पाये जाने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिंधी मैसर्सः– प्रदीप प्रोविजन स्टोर लालसोट रोड, नागौरी मौहल्ला जिला दौसा पर 15,000/–(अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 08.06.2022 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 1094-1096

दिनांकः– 08.06.2022

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामचन्द्र सिंधी।
   एफबीओ मैसर्सः– प्रदीप प्रोविजन स्टोर, लालसोट रोड, नागौरी मौहल्ला, दौसा।

(आर. के. मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा